यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–79/2017 दायर दिनांक: 16.06.2017

GCMS NO:- 2016/00261

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

रामलाल आत्मज सुखपाल जाति मीना निवासी रघुनाथपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादी

बनाम

1. नेमा पत्नि तस्दूक हुसैन जाति मुसलमान बोहरा निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय बून्दी जिला बून्दी।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88, 92ए, 188 आर.टी एक्ट</u>

उपस्थितिः–

1. वादी के अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया एड्वोकेट
2. प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट

निर्णय दिनांक 31.03.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दुगारी तहसील नैनवां में वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 4914/925 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 4803/925 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा स्थित है। यह कि प्रतिवादी ने खसरा संख्या 925 रकबा 8 बीघा के पूर्व खातेदार किशनगोपाल से 3 वर्ष पहले खरीदी थी परन्तु न तो पूर्व खातेदार किशनगोपाल का न प्रतिवादी का कभी भूमि पर न तो हक एवं आधिपत्य रहा न ही कभी कब्जा रहा। प्रतिवादी के खसरा संख्या की भूमि में तो करीब 30 वर्ष से भी पुरानी बालाजी की बनी बनी हुई है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने यह जानते हुए की पूर्व खातेदार किशनगोपाल का कभी कोई हक एवं आधिपत्य नहीं रहा है फिर भी बदयान्ति पूर्वक राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर भूमि खरीद कर ली व करीब 6 माह पूर्व गुपछुप तरीक से अवैध व अनाधिकृत रूप से तरमीम करवा ली, जो वादी के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि के स्थान पर करवा ली और वादी की भूमि को बालाजी की बनी की तरफ तरमीम बताकर राजस्व नक्शे में दर्ज करवा दिया जो तरमीम निरस्त योग्य है। प्रतिवादी अवैध तरमीम की आड में वादी की भूमि पर से वादी को बेदखल कर अवैध कब्जा करना चाहता है। यह वाद का कारण है। अतः वादी को अधिकार प्राप्त है कि अवैध व अनाधिकृत रूप से नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त करवाकर वाद–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की सही तरमीम उस स्थान पर घोषित करवाये जहां अभी खसरा संख्या 925 दर्शित कर रखी है एवं प्रतिवादी की भूमि को वादी की भूमि के पश्चिमी ओर भूमि दर्शित करवाकर नक्शा ट्रेश में आवश्यक तरमीम करवाये एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करवाये कि प्रतिवादी बल पूर्वक वादी को बेदखल कर भूमि पर से वादी के हक एवं आधिकपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वंय करें और न ही ऐसा किसी अन्य से करवायें। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबंदी खाता संख्या 925, नकल जमाबंदी खाता संख्या 4914/925, नकल जमाबंदी 4803/925 नकल नक्शा ट्रेश आदि पेश किये।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब ... प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब प्राप्त हुआ। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ने 02.07.201... विक्रय पत्र के माध्यम से विधिवत रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...कालीन खातेदार कृष्णगोपाल आत्मज देवीलाल जाति सुनार निवासी दुगारी से खसरा संख्या 925 रकबा ...बीघा कृषि भूमि क्रय कर मौके पर भौतिक रूप से आधिपत्य प्राप्त किया था तथा भूमि राजस्व नक्शे में विधिवत रूप से तरमीम हो रही है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 खसरा सं. 925 रकबा 8 बीघा पर कब्जा काश्त है, वहां पर वादी अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहता है जिसके संबंध में वादी ने अपने वाद में कोई विवरण दर्ज नहीं किया है वादी का वाद खारिज योग्य है। यह कि राजस्व नक्शे की तरमीम दुरूस्ती के वाद धारा 88 आर. टी. एक्ट तथा खसरा संख्या 925 रकबा 8 बीघा पर वादी के खातेदारी कब्जे काश्त के अभाव में वाद धारा 188, 92ए आर. टी. एक्ट का वाद पोषनीय नहीं है वाद वादी खारिज होने योग्य है।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने वकील उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुताबिक राजीनामा ग्राम दुगारी तहसील नैनवां में वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 4914/925 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 4803/925 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा भूमि व प्रतिवादी के खाते की भूमि खसरा संख्या 925 की वर्तमान में राजस्व नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त घोषित कर वादी की भूमि खसरा संख्या 4914/925, 4803/925 की तरमीम जहां वर्तमान में खसरा संख्या 925 की तरमीम कर रखी है उस स्थान पर तरमीम करवाई जावें एवं प्रतिवादी के खाते की भूमि खसरा संरख्या 925 की तरमीम वादी की भूमि के पश्चिम की ओर जहां वर्तमान में राजस्व नक्शे में वादी की भूमि खसरा संख्या 4914/925, 4803/925 की तरमीम हो रही है उस स्थान पर तरमीम कर दी जावे। राजस्व नक्शे में जिस स्थान पर प्रतिवादी की भूमि की तरमीम हो रही है उस स्थान पर वादी की भूमि की तरमीम की जावे व जिस स्थान पर वादी की भूमि तरमीम हो रही है उस स्थान पर प्रतिवादी की भूमि को तरमीम की जावे। इस प्रकार इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर तदनुसार आवश्यक संशोधन राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में किये जावे।

वाद–पत्र का अवलोकन किया, वाद पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब वाद पत्र का अवलोकन किया। वाद पत्र में दिनांक 16.03.2021 को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वकील उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया। राजीनामा पर वकील उभयपक्षकारान को सुना गया। विवादित भूमि पर उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। अतः मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः ग्राम दुगारी तहसील नैनवां में वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 4914/925 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 4803/925 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा भूमि व प्रतिवादी के खाते की भूमि खसरा संख्या 925 की वर्तमान में राजस्व नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त घोषित कर वादी की भूमि खसरा संख्या 4914/925, 4803/925 की तरमीम जहां वर्तमान में खसरा संख्या 925 की तरमीम कर रखी है उस स्थान पर तरमीम की जावें एवं प्रतिवादी के खाते की भूमि खसरा संख्या 925 की तरमीम वादी की भूमि के पश्चिम की ओर जहां वर्तमान में राजस्व नक्शे में वादी की भूमि खसरा संख्या 4914/925, 4803/925 की तरमीम हो रही है उस स्थान पर तरमीम की जावे। राजस्व नक्शे में जिस स्थान पर प्रतिवादी की भूमि की तरमीम हो रही है उस स्थान पर वादी की भूमि की तरमीम की जावे व जिस स्थान पर वादी की भूमि तरमीम हो रही है उस स्थान पर प्रतिवादी की भूमि को तरमीम की जावे। इस प्रकार तहसीलदार नैनवॉ को इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर तदनुसार आवश्यक संशोधन राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी किया जाकर तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉं

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner